दिनांक 29.06.2018 को श्री छेदी पासवान, माननीय सांसद, सासाराम (अ0जा0) लोकसभा क्षेत्र–सह–अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित विधायकगण, अध्यक्ष जिला परिषद, सभापति नगर परिषद व नगर पंचायत तथा अन्य सदस्यों तथा पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ–साथ विभागवार प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

२४/७/१

विगत बैठक दिनांक 06.06.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जो निम्न प्रकार है :–

ग्रामीण कार्य विभाग :– विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के क्रम में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली पथों का एक छोर पर शिल्यान्यास तथा दूसरे छोर पर उदघाट्न का कार्यक्रम माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा कराया जाय। किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष महोदय के पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल भभुआ व मोहनियॉ के द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक माह के अंतराल में उपांकित निर्णयानुसार शिलान्यास एवं उदघाट्न का कार्य सम्पन्न करा लिया जाएगा।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भभुआ/मोहनियॉ)

विद्युत विभाग :– विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के क्रम में माननीय सांसद–सह– अध्यक्ष द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन खेद व्यक्त किया गया और, कहा गया कि विगत बैठक की लगभग एक वर्ष उपरांत भी संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन की कार्यवाही संतोषजनक नहीं की जा सकी है और अनुपालन प्रतिवेदन के क्रम में मात्र आश्वासन के तौर पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो चिंता का विषय है। भारत सरकार के निदेशानुसार दिसम्बर 2018 तक सभी गॉवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है किन्तु विद्युतीकरण का कार्य अत्यंत ही धीमी गति से कराया जा रहा है। पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, परियोजना ने बताया कि कुल 1270 गॉवों में से 220 गॉव का विद्युतीकरण किया गया है। विद्युतीकरण कार्य हेतु दो अन्य एजेन्सीयों को भी लगाया गया है।

निदेश दिया गया कि हर हाल में दिसम्बर 2018 तक विद्युतीकरण हर गॉव व टोलों में साथ–साथ कराना सुनिश्चित किया जाय। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बिना स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लिए सूची जारी की गई है जबकि गॉवों का चयन करने के पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लिया जाना अपेक्षित था।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति/परियोजना)

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन</u> :– विगत बैठक के अनुपालन के क्रम में चन्द्रघट्टा जलापूर्ति योजना को चालू कर दिए जाने के प्रतिवेदन पर पृच्छा के क्रम में प्रखण्ड प्रमुख अधौरा ने बताया कि जलापूर्ति चालू नहीं है। माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र खरवार ने भी बताया कि चन्द्रघट्टा जलापूर्ति योजना चालू नहीं है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन द्वारा कहा गया कि 200 मीटर जलापूर्ति पाईप टुट जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है जिसे शीघ्र ही चालू करा दिया जाएगा। माननीय विधायक श्री वृजकिशोर बिन्द ने कहा कि अधौरा बाजार में जो जलापूर्ति पाईप रखी गई है उसे मिट्टी की खुदाई कर ठीक से बिछवाया जाना आवश्यक है। वह पाईप नाले से गुजर रहा है। उन्होनें यह भी कहा कि चद्रघट्टा जलापूर्ति योजना को सुचारू रूप से चालू करा देने के बाद अधौरा प्रखण्ड की आधी समस्या पेयजल की समाप्त हो जाएगी। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष ने कहा कि अधौरा प्रखण्ड क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है। वहां रोड एवं विद्युत नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम पेयजल की सुविधा तो दिया ही जा सकता है। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पी0एच0ई0डी0 के अन्तर्गत एक ग्लोबल संवेदक है जो कार्यपालक अभियंता महोदय से वार्त्ता के क्रम में अपने को उनसे सुपर साहब समझता है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उक्त ग्लोबल संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करने हेतु सरकार को लिखा गया है। निदेश दिया गया कि पी0एच0ई0डी0 विभाग की एक अलग बैठक आयोजित की जाय जिसमें उक्त संवेदक की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाय। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि सौर उर्जा प्रोजेक्ट का प्रतिवेदन माननीय विधायकों को उपलब्ध कराई जाय। माननीय विधायक श्री वृजकिशोर बिन्द तथा माननीय सदस्य श्री राधेश्याम पासवान द्वारा बताया गया कि भगवानपुर जलापूर्ति योजना भी चालू नहीं है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि संबंधित कनीय अभियंता शीघ्र उन्हें मिलकर अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत करावें। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र खरवार के मॉग के आलोक में विगत बैठक में अधौरा प्रखण्ड के समरसेबुल द्वारा पेयजलापूर्ति की जॉच के क्रम में अनुपालन प्रतिवेदन कुछ और ही है अर्थात तथ्यों से हटकर

अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जबकि उसके लिए दिनांक 07.06.2017 को जॉच हेतु तिथि निर्धारित की गई थी परंतु उक्त निर्धारित तिथि अथवा उसके बाद भी जॉच कर जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई क्या की गई यह अनुपालन प्रतिवेदन होना चाहिए। माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष ने कहा कि एक वर्ष बाद बैठक हो रही है और अनुपालन की स्थिति यथावत है यह खेदजनक है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि दोनों कनीय अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता बुलावें तथा दिनांक 02.07.2018 को जॉच कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करें। माननीय विधायक श्री वृजकिशोर बिन्द के पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि हाटा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना 1965 की है जो काफी पुराना हो जाने के कारण मरम्मति के योग्य नहीं रह गया है। माननीय सभापति, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि भभुआ शहरी क्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत जलापूर्ति योजनाओं को नगर परिषद भभुआ को विभागीय निदेशानुसार हस्तानांतरित किया जाना है किन्तु जलापूर्ति योजना सुचारु रुप से चालू नहीं रहने के कारण अबतक हस्तांरित नहीं हो पाया है। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर जलापूर्ति योजना को चालू कराते हुए नगर परिषद को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आगामी जिला समन्वय समिति की बैठक में सर्वप्रथम जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की कार्यवाही मे लिए गए निर्णयो एवं निदेशों के आलोक में अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि चापाकलों की मरम्मति के राशि कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 के पास है परंतु बहुतेरे चापाकल मरम्मति के अभाव में या तो पानी ही नहीं देता है या फिर गंदा पानी देता है जिसकी मरम्मति पी0एच0ई0डी0 विभाग के स्तर से नहीं कराई जा रही है। कार्यपालक अभियंता द्वारा जुलाई 2018 के अंत तक सभी खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति कराने का आश्वासन दिया गया। माननीय विधायिका श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय ने कहा कि रामपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत कुड़ारी अन्तर्गत ग्राम सिसवार, बहेरी एवं लिली में मिनी जलापूर्ति योजना चालू नहीं है। निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता इसे स्वयं देख लें एवं आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष जिला परिषद ने कहा कि जो भी जलापूर्ति योजना है उसका पाईप जिर्णशीर्ण अवस्था में है एवं बंद है। चॉद के पठारी इलाका चंदा, रामपुर, कोटा, मजरिया आदि में पेयजल की काफी समस्या है।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, कैमूर)

स्वास्थ्य विभाग :– अनुपालन के समीक्षा के क्रम में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं कहा गया कि दुमदुमा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सभी कर्मियों द्वारा एक साथ अवकाश पर चले जाने के कारण विगत एक सप्ताह से ताला लगा हुआ है। गर्रा में एक और नया स्वास्थ्य भवन बन गया है। वहां नर्स एवं चिकित्सक की सुविधा बहाल कराई जाय।

(अनुपालन :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर)

सहकारिता विभाग :– अनुपालन के समीक्षा के क्रम में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि फसल बीमा की राशि जिला को प्राप्त हुई है किन्तु किसानों को अबतक भुगतान नहीं हो सका है। निदेश दिया गया कि बिमित किसानों के भुगतान की कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित कराते हुए सूची माननीय विधायक को उपलब्ध कराई जाय तथा एन॰आई॰सी॰ के माध्यम से पब्लिक डोमेन पर भी अपलोड करा दिया जाय।

(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर/आई0टी0 प्रबंधक, कैमूर)

शिक्षा विभाग :– अनुपालन की समीक्षा के क्रम में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह के पृच्छा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा बताया गया कि जिले के कुल 22 विद्यालयों के भवन निर्माण की राशि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वापस हो गई है। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि ऐसे विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रयास किया जाय। यदि अंचलाधिकारी के स्तर से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीण किसानों को विद्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु उत्प्रेरित किया जा सकता है। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां छात्र/छात्राओं का नामांकन है, माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन–पाठन का कार्य सुनिश्चित कराई जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी रामपुर से स्पष्टीकरण मॉगने का निदेश दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची एवं कार्यरत/पदस्थापित शिक्षकों की सूची पब्लिक डोमेन पर डाला जाय।

(अनुपालन :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर)

सामाजिक सुरक्षा :– अनुपालन की समीक्षा के क्रम में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं कहा गया कि पेंशनधारियों को खाते के माध्यम से नियमित भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :– अनुपालन की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा विस्तार से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। श्री इन्द्रजीत बिन्द के संबंध में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि श्री बिन्द को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल चुका है। श्री बिन्द रामगढ़ प्रखण्ड के देवहलियॉ ग्राम के रहने वाले है।

(अनुपालन :– उप विकास आयुक्त, कैमूर)

जीविका :– जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका के द्वारा माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह के पृच्छा के क्रम में बताया गया कि मोहनियॉ एवं भभुआ में तीन–तीन सौ जीविका दीदी लक्षित थी, जिनके माध्यम से निर्धारित 40 रूपये प्रति पीस की दर से मुर्गी पालकों को चुजा दिया जाता है। पृच्छा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके विभाग के द्वारा भी बी॰पी॰एल॰ परिवारों के व्यक्तियों को 10 रूपये की दर से तथा ए॰पी॰एल॰ परिवारों के व्यक्तियों वालों को 20 रूपये की दर से मुर्गी पालकों को चुजा मुहैया कराया जाता है। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेशित किया गया कि सभी प्रखण्डों में बैठक कर उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर जीविका द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :– जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका)

योजना विभाग :– अनुपालन की समीक्षा के क्रम में माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि भभुआ रोड स्टेशन पर देर रात्री में उतरने वाले यात्रियों के ठहराव के मद्देनजर एक धर्मशाला निर्माण के निमित दस लाख रूपये की राशि अनुशंसित की गई है। उक्त कार्य जनहित में है इसलिए धर्मशाला निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना अपेक्षित है।

(अनुपालन :– जिला योजना पदाधिकारी)

मनरेगा :– अनुपालन की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा विस्तार से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक वृक्षारोपण की कुल 1306 योजनाएं ली गई है जिसमें 551 चापाकल लगे है। विभागीय निदेश के आलोक में नदी/नहर तटबंध पर लगाए गए वृक्षारोपण योजनाओं के लिए चापाकल लगाने

परे है। कार्यपालक अभियंता योजनावार सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016–17 में कुल 88 योजनाएं स्वीकृत थी जो सभी पूर्ण कर ली गई है। वर्ष 2017–18 की योजनाएं टेण्डर की गई है। पी०एम०जी०एस०वाई० की 14 योजनाएं पारित है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है तथा 6 योजनाओं का टेण्डर हो रहा है। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित योजना में अबतक बोर्ड नहीं लगा है जो खेद का विषय है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर उद्घाटित योजना का बोर्ड लगाते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। माननीय प्रमुख प्रखण्ड कुदरा एवं माननीय विधायक श्री निरंजन राम के प्रतिनिधि ने कहा कि कुदरा परसथुआं पथ से सिसवार ग्राम को जाने वाले पथ की स्थिति अत्यंत ही जीर्णशीर्ण हो गई है। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष ने कहा कि जी०टी० रोड से होते हुए रामगढ़ पथ होते हुए जिगना को जाने वाली पथ को देख लें एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भभुआ/मोहनियाँ)

सामाजिक सुरक्षा :– बताया गया कि कैमूर जिला में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल पेंशनधारियों की संख्या 108736 है, जिसमें इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत 71738, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन के तहत 1611, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत 7566, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा के तहत 9627, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1579, बिहार राज्य निःशक्ता पेंशन के तहत 16602 है। खाताधारक पेंशनधारियों की संख्या 107214 है। वर्तमान में राज्य स्तर से नेफ्ट के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों की संख्या 96668 है। मार्च 2016 से मार्च 2018 तक पी०एफ०एम०एस० स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित पेंशनधारियों की संख्या 6035 है। जिला अन्तर्गत खाता अप्राप्त पेंशनधारियों की संख्या 1522 है। प्रखण्ड स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित पेंशनधारियों की संख्या 4511 है।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :– बताया गया कि 01.04.2018 को एक योजना लंबित है एवं वर्ष 2018–19 में दो योजना ली गई। इस प्रकार कुल 3 योजना के विरूद्ध एक योजना पूर्ण की जा चुकी है एवं दो योजना चल रही है।

(अनुपालन :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :– उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कुल लक्ष्य 11403 के विरूद्ध 10819 स्वीकृत किया गया है जिसमें

का प्रावधान नहीं है। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष के पृच्छा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी चैनपुर के द्वारा बताया गया कि आदर्श ग्राम हाटा में एक निजी जमीन पर तथा एक सरकारी जमीन पर पोखरे का निर्माण कराया गया है। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आदर्श ग्राम में क्या–क्या कार्य कराए जाने है इसका एक अलग ही गाईडलाईन है जिसके आलोक में आदर्श ग्राम कार्य कराया जाना है।

इस प्रकार विभागवार अनुपालन की समीक्षा कर सर्वसम्मत से विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन को सम्पुष्ट किया गया।

(अनुपालन :– उप विकास आयुक्त, कैमूर/कार्यक्रम पदाधिकारी, चैनपुर)

विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

मनरेगा :– बताया गया कि जिले के कुल 149 ग्राम पंचायतों में जून 2018 तक कुल 653140 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध अबतक 586571 मानव दिवस सृजित किए गए है जो कि लक्ष्य का 90 प्रतिशत है।

(अनुपालन :– उप विकास आयुक्त, कैमूर)

जीविका :– जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 31 पंचायत प्रवेश की स्थिति है। कुल राजस्व गॉव प्रवेश की स्थिति 241 है। कुल घर संलिप्तता की स्थिति 28901 है। कुल ए0एच0जी0 निर्माण की स्थिति 2339 है। कुल ग्राम संगठन निर्माण की स्थिति 129 है। स्वयं सहायता समूहों के बैंक में खाता खोलने की स्थिति 1705 है। ग्राम संगठनों के बैंक में खाता खोलने की स्थिति 101 है। एस0एच0जी0 के सूक्ष्म कार्य योजना निर्माण की स्थिति 1273 है। कुल एस0एच0जी0 के संख्या जिसे आई0सी0एफ0 वितरित की गई 822 है। कुल एस0एच0जी0 की संख्या जिसे आर0एफ0 वितरित की गई 1303 है। एस0एच0जी0 के क्रेडिट लिंकेज की स्थिति 1333 है। एस0एच0जी0 के महिलाओं के साक्षर होने की संख्या 9704 है। एस0एच0जी0 में वितरित आई0सी0एफ0 की राशि 241.10 लाख रूपये है। एस0एच0जी0 में कुल वितरित आर0एफ0 की राशि 195.45 लाख रूपये है। बैंक द्वारा वितरित राशि (क्रेडिट लिंकेज द्वारा) 1160.08 लाख रूपये है। एस0एच0जी0 ओ0डी0एफ0 306 है। VOs ODF 9 तथा कुल एस0एच0जी0 की मेंबर (शौचालय निर्माण) 6398 है।

(अनुपालन :– जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, कैमूर)

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भभुआ एवं मोहनियॉ :– कार्य प्रमण्डल द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराए गए प्रगति प्रतिवेदन पर माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष एवं माननीय विधायकों व अन्य सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समझ से

से 10319 लाभुकों को प्रथम किस्त, 6736 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 1748 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। अबतक 389 आवास पूर्ण हुए है। यह भी बताया गया कि SECC 2011 के सर्वे में छुटे हुए परिवारों का नया सर्वे कर नाम जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करा दिया जाय ताकि जो लोग छुट गए है और वास्तविक रूप से वे इस योजना का लाभ लेने के हकदार है, उन्हें जानकारी मिल जाए ताकि वे आवेदन कर सके। संभव हो तो पम्पलेट भी छपवाकर वितरित करा दिया जाय। बताया गया कि 01 जून 2018 से 15 जून 2018 तक सभी प्रखण्डों द्वारा ग्रामसभा में इसकी जानकारी करा दी गई है। जो सर्वे हुआ है उसे ही ग्रामसभा में रखा जाना है।

(अनुपालन :– उप विकास आयुक्त, कैमूर)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) :– बताया गया कि नगर परिषद भभुआ एवं नगर पंचायत मोहनियॉ अंतर्गत सभी 25 वार्डों को लक्ष्य के अनुपात में शत्–प्रतिशत ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है।

(अनुपालन :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ/नगर पंचायत, मोहनियॉ)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन :– कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री चापाकल योजनान्तर्गत 1682 चापाकलों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 1607 का निर्माण कराया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2016–17 में सस्टेनेबूल चापाकल निर्माण के लक्ष्य 302 के विरूद्ध शत्–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। मिनी जलापूर्ति योजना कुल 87 लक्ष्य के विरूद्ध 66 का कार्य पूर्ण कराया गया है। शेष 21 का कार्य पूर्ण कराने हेतु संबंधित संवेदकों को निदेशित किया गया है। माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष ने कहा कि अधौरा प्रखण्ड पठारी क्षेत्र है। जहां पेयजल की भीषण समस्या रहती है। गर्मी के मौसम में 60 प्रतिशत लोग अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ से नीचे जीवन–यापन के लिए चले आते है। वहां सड़क एवं बिजली नहीं दी जा सकती है किन्तु पेयजल की समस्या को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाना जनहित में अपेक्षित है।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, कैमूर)

भूमि संरक्षण :– जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न रेनफेड/कम वर्षा वाले जिले में चलाई जा रही है। जिसमें कैमूर जिले में भी इसका कार्य जलछाजन क्षेत्रों मे अधौरा, भगवानपुर, रामपुर, चैनपुर प्रखण्ड में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में जल संचयन एवं भूमि जलस्तर में सुधार हेतु

पी0सी0डी0, आर0एम0एस0, डब्ल्यू0एच0टी0 एवं प्लांटेशन के लिए लाभुकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधौरा प्रखण्ड अंतर्गत कार्यान्वित कराई जा रही कार्यो के सबंध में पृच्छा के क्रम में माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र खरवार द्वारा बताया गया कि विभाग की योजनाएं प्रखण्ड के पूरे क्षेत्र में नहीं कराई जा रही है बल्कि मात्र 6 पंचायतों में ही कराई जा रही है। निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा कार्यान्वित कराई जा रही योजनाओं के संबंध में लिटरेचर में प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय।

(अनुपालन :– जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कैमूर)

<u>राजस्व शाखा</u> :– जिले में जमाबंदी पंजी–II का डाटा इन्ट्री के उपरांत सत्यापन का कार्य 96.53 प्रतिशत सम्पन्न हो चुका है। अभियान बसेरा के अंतर्गत महादलित 1190 सर्वेक्षित परिवार के विरूद्ध 428 को वितारित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 77 सर्वेक्षित परिवार के विरूद्ध 50 को, अनुसूचित जनजाति के 64 सर्वेक्षित परिवार के विरूद्ध 32 को, BC-I के 263 सवेक्षित परिवार के विरूद्ध 103 को तथा BC-II के 125 सर्वेक्षित परिवार के विरूद्ध 36 को भूमि वितरित किया गया है। भू–अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण शत्–प्रतिशत कर लिया गया है तथा जिला अन्तर्गत कुल 11 अंचलों का विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन कर दिया गया है।

(अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, कैमूर)

<u>सहकारिता विभाग</u> :– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2016–17 में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 42161 है जिसके विरूद्ध 2249 किसानों का सत्यापन कर लिया गया है।

(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी)

<u>अन्य</u> :– माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष महोदय के पृच्छा के क्रम में माननीय प्रखण्ड प्रमुख प्रखण्ड भभुआ ने कहा कि जिस विद्यालय भवन को बनवाने हेतु जमीन की आवश्यकता है उसकी सूची उपलब्ध करा दी जाय ताकि ग्रामीणों को उत्प्रेरित कर जमीन मुहैया करवाया जा सके। माननीय सदस्य श्रीमती वीणा श्रीवास्तव ने कहा कि मदर शकुन्तला विद्यालय के पास ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। माननीय प्रमुख प्रखण्ड रामपुर द्वारा कहा गया कि उनके चेम्बर का शौचालय अबतक नहीं बना है तथा प्रखण्ड विकास पदाधकारी द्वारा किसी भी काम के लिए उनसे सलाह नहीं लिया जाता है। माननीय प्रमुख प्रखण्ड चैनपुर द्वारा कहा गया कि कौन–कौन सी योजनाएं चल रही है उसकी सूची उपलब्ध कराई जाय। माननीय सदस्य श्री नन्दू बिन्द, मुखिया ग्राम पंचायत जगरियॉ ने कहा कि चैनपुर प्रखण्ड के जगरियॉ ग्राम में 2015 से पोल गड़ा है लेकिन तार नहीं खिंचा जा सका है। माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र

खरवार ने कहा कि अधौरा–भभुआ पथ सिंगल पथ है जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इस पथ का चौड़ीकरण कराया जाना अपेक्षित है। माननीय सदस्य श्री धर्मराज राजभर, मुखिया द्वारा बताया गया कि रामगढ़ पंचायत के ग्राम रामगढ़ में पोल गाड़ा है किन्तु बिजली का तार नहीं खिंचा जा सका है। साथ ही मुसहर टोली एवं बिन्द टोली में तार पोल दोनों नहीं है। माननीय सभापति नगर परिषद भभुआ द्वारा कहा गया कि भभुआ नगर के मुख्य नाली का पानी सड़क पर बहता है उसका स्टीमेट पटना भेजा गया है। सौर्दयीकरण में भभुआ नगर राज्य में पॉचवें स्थान पर है।

(अनुपालन :– जिला शिक्षा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामपुर/चैनपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

ज्ञापांक :– ख़्वा॥-22-19-1480/ दिनांक 12-10-19

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंताओं को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अनुपालन प्रतिवेदन एवं पूर्व के प्रपत्र में विभागीय प्रतिवेदन जिसमें अपूर्ण योजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तिथि का उल्लेख हो के साथ सार प्रतिवेदन (Summary Report) के लिए संलग्न प्रपत्र में भी प्रतिवेदन दिनांक 18.10.2019 तक अचूक रूप से जिला योजना कार्यालय, कैमूर (भभुआ) के E-mail ID- **dpo-kai-bih@nic.in** पर भेजना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, 'दिशा' को सूचनार्थ प्रेषित।

12/10/19
जिला पदाधिकारी,
I/c कैमूर (भभुआ)

प्रपत्र

भौतिक प्रतिवेदन :

क्र0सं0	कुल योजनाओं की संख्या	कुल उपलब्धि (पूर्ण)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	अपूर्ण / कार्यरत योजनाओं की संख्या	अभ्युक्ति

वित्तीय प्रतिवेदन :

क्र0सं0	कुल प्राप्त आवंटन / राशि	कुल व्यय	लक्ष्य का कुल प्रतिशत	अवशेष राशि	अभ्युक्ति

प्रधान का हस्ताक्षर